

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14

फोन नं. 2223727 फैक्स 2224529

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:-

1. सहायक लेखा पदाधिकारी-पद 2 (1-अनारक्षित एवं 1-अत्यंत पिछड़ा वर्ग)

योग्यता- बी.कॉम एवं सी.ए. इन्टर/I.C.W.A.I Inter/P.E-I & P.E-II.

अनुभव- न्यूनतम पाँच वर्ष।

आयु- दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम 45 वर्ष।

समेकित पारिश्रमिक- ₹50,000/-

अन्य जानकारी एवं शर्तें-

1. इच्छुक उम्मीदवार सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की पठनीय स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उक्त पदों पर आवेदन डाक से सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना-14 को भेज सकते हैं। आवेदन प्रपत्र www.bpcc.co.in से download किया जा सकता है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05.03.2021 एवं अंतर्वीक्षा की की तिथि 12.03.2021 है।

2. Shortlisted उम्मीदवारों को अंतर्वीक्षा की सूचना उनके द्वारा दिए गए ई-मेल पर /निगम के वेबसाइट पर दी जाएगी।

3. यह नियोजन 11 महीने के लिए की जायेगी। आश्वयक्तानुसार दक्षता एवं कार्यक्षमता के आधार पर यह अवधि बढ़ायी जा सकती है।

4. अंतर्वीक्षा के समय अभ्यर्थी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखेंगे।

5. अंतर्वीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनको वास्तविक संविदा नियोजन के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंकों, की अधिमानता दी जाएगी।

• अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंको के योग के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को अंतर्वीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं और संविदा नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार होगी-

$$\begin{aligned} \text{अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक} &= 95 \times 0.75 = 71.25 \\ \text{संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता अंक} &= \frac{25}{100} \times 71.25 = 17.81 \\ \text{कुल अंक} &= 71.25 + 17.81 = 89.06 \end{aligned}$$

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता प्राप्त नहीं हो और उसे अंतर्वीक्षा में 95 अंक प्राप्त हो, तो $95 \times 0.75 = 71.25$ अंक प्राप्त होंगे।

7. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे तथा नियोजन के बाद नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। पदस्थापन निगम, मुख्यालय में होगा।

8. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि उनकी अवधि विस्तार नहीं की जाती है तो नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा, इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

9. अंतर्वीक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. नियोजन हेतु चयन, निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

ह0/-
सचिव

ज्ञापांक...HQ 553 (अ३०)

दिनांक...15/2/2021

प्रतिलिपि-श्री जितेन्द्र गिरी, बरीय निजी सहायक को विज्ञापन, आवेदन पत्र सहित, निगम के वेबसाइट पर upload करने हेतु प्रेषित।

सचिव

सविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित आवेदन प्रपत्र ।
आवेदित पद का नाम-.....

1. नाम --

2. पिता/पति का नाम-

3. जन्म तिथि -

01- 01- 2021 को आयु -

4. स्थायी पता -

.....

..... मोबाईल नम्बर -

5. पत्राचार का पता -

.....

..... मोबाईल नम्बर -

6. जाति/ वर्ग-

7. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा	उत्तीर्ण का वर्ष	संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत
(1).	+2 इन्टर			
(2)	ग्रेजुएशन			
(3)	पोस्ट ग्रेजुएशन			
(4)	डिप्लोमा/ डिग्री या अन्य योग्यता			

8. अनुभव :-

1.

2.

3.

10. संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-

तिथि :-

हस्ताक्षर

फोटो